

कार्यालय: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास (म0प्र0)

// कार्य विभाजन आदेश //

क्रमांक-51/F-33/S.W/2024

देवास दिनांक- 02.05.2024

मैं, मधुसूदन मिश्र, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास, मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 10 के अंतर्गत प्रदत्त (Conferred) शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए, इस निमित्त प्रवृत्त पूर्ववर्ती समस्त आदेशों को अतिष्ठित (Superseded) करते हुए सिविल जिला, देवास एवं सत्र खण्ड देवास में निम्नानुसार कार्य विभाजन करता हूँ। यह कार्य विभाजन आदेश दिनांक 02.05.2024 से प्रभावशील होगा :-

क.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरणों की प्रकृति
01.	02.	03.	04.
01.	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास (श्री मधुसूदन मिश्र)	सिविल जिला देवास	<ol style="list-style-type: none">1. समस्त व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन 10,00,00,000/- (दस करोड़) से अधिक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां (तहसील सोनकच्छ, बागली, हाटपिपल्या, उदयनगर कन्नौद, सतवास एवं खातेगांव, को छोड़कर)2. स्वयं के न्यायालय से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां।3. जिला मुख्यालय, देवास पर कार्यरत समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड व कनिष्ठ खण्ड, तहसील न्यायालय टोंकखुर्द में कार्यरत व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड व कनिष्ठ खण्ड एवं ग्राम न्यायालय, देवास तथा कालान्तर में उक्त न्यायालयों में स्थानांतरण पर पदस्थ होने वाले व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड व कनिष्ठ खण्ड द्वारा पारित निर्णय, आज्ञापति एवं आदेशों के विरुद्ध सिविल एवं विविध सिविल अपीलें।4. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, अंतर्गत चुनाव याचिकाएं (तहसील सोनकच्छ, बागली, हाटपिपल्या, उदयनगर कन्नौद, सतवास एवं खातेगांव, को छोड़कर)5. मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत तहसील सोनकच्छ, बागली, हाटपिपल्या, उदयनगर कन्नौद, सतवास एवं खातेगांव को छोड़कर अन्य समस्त आरक्षी केंद्र देवास, बरोटा एवं टोंकखुर्द के क्षेत्राधिकार में मोटर दुर्घटना से उत्पन्न होने वाले उक्त थाना क्षेत्रों के अंतर्गत स्थानीय निवास करने वाले संबंधित दावेदारों द्वारा प्रस्तुत सभी प्रकार के मोटर दुर्घटना दावे, निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां।6. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 अंतर्गत रजिस्ट्रार द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलें।7. भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी देवास के आदेश से उद्भूत अपीलें।

			<ol style="list-style-type: none"> 8. किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत उद्भूत अपीलें। 9. धारा 22 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 अंतर्गत समस्त प्रकरण (तहसील देवास एवं टोंकखुर्द) 10. धारा 307 नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त व्यवहार वाद। 11. विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (यथा संशोधित 2018 का 18) की धारा 20(ख) के अंतर्गत सिविल जिला, देवास में प्रस्तुत होने वाले प्रकरण, (म.प्र. शासन की अधिसूचना क्रं. 4779/2022/इक्कीस/ब/(एक) 2022 दिनांक 23.12.2022 अनुसार) 12. समस्त व्यवहार वाद, आवेदन, याचिकाएं, अपील एवं कार्यवाहियां जो तत्समय प्रवृत्त अन्य विधियों के अंतर्गत प्रस्तुत होती हैं व जो संज्ञान हेतु अन्यथा उपबंधित नहीं की गई हैं।
		<p>सत्र खण्ड, देवास</p>	<ol style="list-style-type: none"> 13. अनन्य रूपेण सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय समस्त सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत समस्त आवेदन एवं अन्य अधिनियमों के अंतर्गत सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय समस्त आपराधिक प्रकरण। 14. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 15. सती प्रथा (निवारण) अधिनियम, 1993 से उद्भूत प्रकरण। 16. किशोर न्याय बोर्ड, देवास द्वारा पारित आदेश से उद्भूत अपीलें। 17. आरक्षी केन्द्र देवास एवं टोंकखुर्द की अधिकारिता से उद्भूत होने वाले समस्त जमानत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 438 एवं 439 द.प्र.सं. (एस.सी./एस.टी. एक्ट, एन.डी. पी.एस.एक्ट, पॉक्सो एक्ट एवं विद्युत अधिनियम, 2003 के अतिरिक्त) 18. सत्र खण्ड देवास की क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले ऐसे अन्य आपराधिक प्रकरण, जिनके संबंध में किसी अन्य अपर सत्र न्यायाधीश को प्राधिकृत नहीं किया गया है।
<p>02.</p>	<p>विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (श्री दिनेश प्रसाद मिश्र)</p>	<p>सत्र खण्ड, देवास</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. सत्र खण्ड देवास में उद्भूत अनुसूचित जाति/जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के विशेष प्रकरण एवं उनसे सम्बद्ध विविध कार्यवाहियां, जमानत आवेदन पत्रों सहित। 2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित व्यवहार प्रकरण, व्यवहार अपीलें, सत्र प्रकरण एवं आपराधिक

			अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण, जमानत प्रार्थना पत्र एवं अन्य समस्त प्रकरण।
03.	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश देवास एवं विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988) (श्री मनीष सिंह ठाकुर)	तहसील देवास एवं टोंकखुर्द	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां। 2. स्वयं के न्यायालय से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।
		सत्र खण्ड देवास	<ol style="list-style-type: none"> 4. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले विशेष प्रकरण (अधिसूचना अनुसार) 5. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत विचारण हेतु प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 6. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 एवं अन्य अधिनियम अंतर्गत कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
04.	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देवास के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (POCSO ACT) देवास (श्रीमती अनु सिंह)	सत्र खण्ड देवास	<ol style="list-style-type: none"> 1. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 अंतर्गत तथा जिन मामलों में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के साथ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत भी अपराध दर्ज हो, ऐसे मामलों में प्रस्तुत अभियोग पत्र, जमानत आवेदन पत्र एवं रिमांड आदि से संबंधित समस्त कार्यवाहियां। (अधिसूचना अनुसार) 2. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 एवं अन्य अधिनियम अंतर्गत कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
05	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश देवास. (श्री उमाशंकर अग्रवाल)	तहसील देवास एवं टोंकखुर्द	<ol style="list-style-type: none"> 1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन 1,00,00,000/- (एक करोड़) से अधिक किन्तु 3,00,00,000/- (तीन करोड़) रुपये तक हो तथा उक्त से सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. प्रोबेट प्रकरण। 3. मानसिक स्वास्थ्य एवं देखरेख अधिनियम, 2017 अंतर्गत प्रकरण। 4. हिन्दू अप्राप्तवय संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1956 के तहत व हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत तथा संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण। 5. स्वयं के न्यायालय से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां।

			6. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।
	तहसील देवास एवं तहसील टोंकखुर्द (सत्र खण्ड देवास)		8. अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम, 2019 (2019-का 21) के सिविल जिला, देवास अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 9. ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 अंतर्गत उद्भूत अपीलें (ग्राम न्यायाधिकारी, देवास) 10. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 एवं अन्य अधिनियम अंतर्गत कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
06.	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास. (श्री राजेन्द्र कुमार पाटीदार)	तहसील देवास एवं तहसील टोंकखुर्द	1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन 3,00,00,000/- (तीन करोड़) से अधिक किन्तु 10,00,00,000/- (दस करोड़) तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. लघु वाद प्रकरण, जिनका मूल्यांकन 500/- रुपये से अधिक एवं 1000/- रुपये तक हो तथा उक्त से सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 3. प्रांतीय शोध अधिनियम 1920 के अधीन रुपये 1,00,00,000/- (एक करोड़) से अधिक मूल्यांकन के प्रकरण। 4. मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 5. मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत अपीलें। 6. स्वयं के न्यायालय से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 7. जिला मुख्यालय देवास पर पूर्व में कार्यरत रहे अपर जिला न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश जिनके न्यायालय वर्तमान में रिक्त हैं तथा उक्त न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय/आदेशों के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय में प्रस्तुत अपील में पारित आदेश प्राप्त होने पर उनसे संबंधित निष्पादन प्रकरण, आवेदन एवं अन्य विविध कार्यवाहियों का विधि अनुसार निराकरण करेंगे। 8. मुख्यालय देवास पर अपर जिला न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के रिक्त होने पर उनके द्वारा पारित निर्णय/आज्ञापित एवं अधिनिर्णयों से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां आदि प्राप्त कर उनका विधि अनुसार निराकरण करेंगे। 9. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।
		तहसील	10. आरक्षी केन्द्र, देवास एवं टोंकखुर्द की

	देवास एवं तहसील टोंकखुर्द (सत्र खण्ड देवास)	अधिकारिता से उद्भूत निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं समस्त कार्यवाहियां (अधिसूचना अनुसार) 11. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 एवं अन्य अधिनियम अंतर्गत कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
07.	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश देवास एवं विशेष न्यायाधीश, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एन.डी. पी.एस.एक्ट) (श्री यशपाल सिंह)	तहसील देवास एवं तहसील टोंकखुर्द 1. भू-अर्जन अधिनियम, 1894 अंतर्गत प्रकरण। 2. माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 से सम्बद्ध प्रकरण निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां, धारा 11(6) के अतिरिक्त। 3. भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार, सुधार तथा पुनर्वास अधिनियम, 2013 अंतर्गत प्रकरण। (भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन) 4. स्वयं के न्यायालय से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 5. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।
	तहसील देवास एवं तहसील टोंकखुर्द (सत्र खण्ड देवास)	6. सत्र खण्ड देवास में उद्भूत स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एन.डी.पी.एस. एक्ट) के प्रकरण एवं उनसे सम्बद्ध विविध कार्यवाहियां, जमानत आवेदन पत्र व अन्य आवेदन आदि (अधिसूचनानुसार) 7. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) के अंतर्गत उद्भूत प्रकरण। (अधिसूचना अनुसार) 8. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 एवं अन्य अधिनियम अंतर्गत कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
08.	पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश देवास (श्री अभिषेक गौर)	तहसील देवास एवं तहसील टोंकखुर्द (सत्र खण्ड देवास) 1. विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत प्रकरण एवं तत्सम्बंधी जमानत आवेदन पत्र व निराकृत विद्युत प्रकरणों से सम्बंधित उत्पन्न होने वाली समस्त विविध कार्यवाहियां (अधिसूचना अनुसार) 2. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 एवं अन्य अधिनियम अंतर्गत कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
09.	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सोनकच्छ (रिक्त न्यायालय)	तहसील सोनकच्छ -----
10.	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सोनकच्छ एवं	तहसील सोनकच्छ 1. समस्त व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन 1,00,00,000/- (एक करोड़) से अधिक हो

<p>विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम, 2003 (श्री राकेश जमरा)</p>		<p>तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां।</p> <ol style="list-style-type: none">2. स्वयं के न्यायालय से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां।3. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सोनकच्छ, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सोनकच्छ एवं पूर्व से रिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड सोनकच्छ द्वारा पारित निर्णय, आज्ञाप्ति एवं आदेशों से उत्पन्न सिविल एवं विविध सिविल अपीलें।4. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।5. माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 से सम्बद्ध प्रकरण निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां, धारा 11(6) के अतिरिक्त।6. मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत अपीलें।7. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम अंतर्गत चुनाव याचिकाएं।8. लघु वाद प्रकरण, जिनका मूल्यांकन 500/- रुपये से अधिक एवं 1000/- रुपये तक हो तथा उक्त से सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां।9. मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत तहसील सोनकच्छ के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले मोटर दुर्घटना दावे, उक्त क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत स्थानीय निवास करने वाले संबंधित दावेदारों द्वारा प्रस्तुत मोटर दुर्घटना दावे निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां।10. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण।11. हिन्दू अप्राप्तवय संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1956 के तहत व हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत तथा संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण।12. विशेष विवाह अधिनियम अंतर्गत समस्त प्रकरण।13. हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के समस्त प्रकरण।14. प्रोबेट प्रकरण।15. भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण।16. प्रांतीय शोध अधिनियम, 1920 के अधीन रुपये 1,00,00,000/- (एक करोड़) से अधिक मूल्यांकन के प्रकरण।17. मानसिक स्वास्थ्य एवं देखरेख अधिनियम, 2017 अंतर्गत प्रकरण।18. मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।
----------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>19. भू-अर्जन अधिनियम अंतर्गत प्रकरण।</p> <p>20. भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार, सुधार तथा पुनर्वास अधिनियम, 2013 अंतर्गत प्रकरण। (भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन)</p> <p>21. धारा 22 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अंतर्गत समस्त प्रकरण।</p>
	तहसील सोनकच्छ सत्र खण्ड सोनकच्छ		<p>22. विद्युत अधिनियम, 2003 अंतर्गत प्रकरण एवं तत्संबंधी जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य कार्यवाहियां (अधिसूचनानुसार)</p> <p>23. सिविल न्यायालय सोनकच्छ के वर्तमान एवं समस्त रिक्त न्यायालयों के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों से उद्भूत अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण प्रकरण।</p> <p>24. सोनकच्छ तहसील अंतर्गत उद्भूत धारा 438 एवं 439 दप्रस अंतर्गत प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र (एस.सी/एस.टी.एक्ट, एनडीपीएस एक्ट के अतिरिक्त) एवं द.प्र.सं. अंतर्गत प्रस्तुत अन्य आवेदन।</p> <p>25. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 अंतर्गत प्रस्तुत अभियोग पत्र, जमानत आवेदन पत्र एवं रिमांड आदि से संबंधित समस्त कार्यवाहियां।</p> <p>26. सत्र खण्ड, सोनकच्छ की अधिकारिता से उद्भूत निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं समस्त कार्यवाहियां (शासन की अधिसूचना अनुसार)</p> <p>27. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर सामान्य एवं विशेष आदेश द्वारा अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं द.प्र.सं.1973 एवं अन्य अधि. अंतर्गत कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।</p>
11.	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बागली (रिक्त न्यायालय)	तहसील हाटपिल्या, बागली एवं उदयनगर	-----
12.	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बागली, विशेष न्यायाधीश, (विद्युत अधिनियम,2003) तथा विशेष न्यायाधीश, Exclusive POCSO Court बागली (श्री चन्द्रकिशोर बारपेटे)	तहसील बागली, हाटपिल्या एवं उदयनगर	<p>1. समस्त व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन 1,00,00,000/- (एक करोड़) से अधिक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां।</p> <p>2. स्वयं के न्यायालय के उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां।</p> <p>3. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कनिष्ठ खण्ड बागली एवं पूर्व से रिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड, बागली द्वारा पारित समस्त निर्णय, आज्ञाप्ति एवं आदेशों से उत्पन्न सिविल एवं विविध सिविल अपीलें।</p> <p>4. माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 से</p>

		<p>सम्बद्ध प्रकरण निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां, धारा 11(6) के अतिरिक्त।</p> <p>5. मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत अपीलें।</p> <p>6. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम अंतर्गत चुनाव याचिकाएं।</p> <p>7. लघु वाद प्रकरण, जिनका मूल्यांकन 500/- रूपये से अधिक एवं 1000/- रूपये तक हो तथा उक्त से सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां।</p> <p>8. मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत तहसील बागली के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले मोटर दुर्घटना दावे, उक्त क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत स्थानीय निवास करने वाले संबंधित दावेदारों द्वारा प्रस्तुत मोटर दुर्घटना दावे निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां।</p> <p>9. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण।</p> <p>10. हिन्दू अप्राप्तवय संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1956 के तहत व हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत तथा संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण।</p> <p>11. विशेष विवाह अधिनियम अंतर्गत समस्त प्रकरण।</p> <p>12. हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के समस्त प्रकरण।</p> <p>13. प्रोबेट प्रकरण।</p> <p>14. भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण।</p> <p>15. प्रांतीय शोध अधिनियम, 1920 के अधीन रूपये 1,00,00,000/- (एक करोड़) से अधिक मूल्यांकन के प्रकरण।</p> <p>16. मानसिक स्वास्थ्य एवं देखरेख अधिनियम, 2017 अंतर्गत प्रकरण।</p> <p>17. मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।</p> <p>18. भू-अर्जन अधिनियम अंतर्गत प्रकरण।</p> <p>19. भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार, सुधार तथा पुनर्वास अधिनियम, 2013 अंतर्गत प्रकरण। (भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन)</p> <p>20. धारा 22 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अंतर्गत समस्त प्रकरण।</p> <p>21. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।</p>
	तहसील बागली, हाटपिपल्या एवं उदयनगर (सत्र खण्ड बागली)	<p>22. विद्युत अधिनियम 2003 अंतर्गत प्रकरण एवं तत्संबंधी जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य कार्यवाहियां (अधिसूचना अनुसार)</p>

			<p>23. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 अंतर्गत प्रस्तुत अभियोग पत्र, जमानत आवेदन पत्र एवं रिमांड आदि से संबंधित समस्त कार्यवाहियां। (अधिसूचना अनुसार)</p> <p>24. तहसील बागली पर पदस्थ वर्तमान न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं पूर्व से रिक्त न्यायालयों के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों से उद्भूत अपीलें एवं आपराधिक पुनरीक्षण प्रकरण।</p> <p>25. तहसील बागली के अंतर्गत उद्भूत धारा 438 एवं 439 दप्रस अंतर्गत प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र (एस.सी./एस.टी. एक्ट, एनडीपीएस एक्ट को छोड़कर) एवं द.प्र.सं. अंतर्गत प्रस्तुत अन्य आवेदन।</p> <p>26. सत्र खण्ड, बागली की अधिकारिता से उद्भूत निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं समस्त कार्यवाहियां (अधिसूचना अनुसार)</p> <p>27. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर सामान्य एवं विशेष आदेश द्वारा अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 एवं अन्य अधिनियम अंतर्गत कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।</p>
<p>13.</p>	<p>जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कन्नौद एवं विशेष न्यायाधीश, (विद्युत अधिनियम, 2003) (श्री दारासिंह मण्डलोई)</p>	<p>तहसील कन्नौद एवं सतवास</p>	<p>1. समस्त व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन 1,00,00,000/- (एक करोड़) से अधिक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां।</p> <p>2. स्वयं के न्यायालय के उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां।</p> <p>3. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कन्नौद, एवं ग्राम न्यायाधिकारी कन्नौद तथा पूर्व से व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कन्नौद के रिक्त न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय, आज्ञाप्ति एवं आदेशों से उत्पन्न सिविल एवं विविध सिविल अपीलें।</p> <p>4. माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 से सम्बद्ध प्रकरण निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां, धारा 11(6) के अतिरिक्त।</p> <p>5. मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत अपीलें।</p> <p>6. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम अंतर्गत चुनाव याचिकाएं।</p> <p>7. लघु वाद प्रकरण, जिनका मूल्यांकन 500/- रुपये से अधिक एवं 1000/- रुपये तक हो तथा उक्त से सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां।</p> <p>8. मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत तहसील कन्नौद के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले मोटर दुर्घटना दावे, उक्त क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत स्थानीय निवास करने वाले संबंधित</p>

			<p>दावेदारों द्वारा प्रस्तुत मोटर दुर्घटना दावे निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां।</p> <p>9. हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण।</p> <p>10. हिन्दू अप्राप्तवय संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1956 के तहत व हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत तथा संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण।</p> <p>11. विशेष विवाह अधिनियम अंतर्गत समस्त प्रकरण।</p> <p>12. हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956 के समस्त प्रकरण।</p> <p>13. प्रांतीय शोध अधिनियम, 1920 के अधीन रूपये 1,00,00,000/- (एक करोड़) से अधिक मूल्यांकन के प्रकरण।</p> <p>14. मानसिक स्वास्थ्य एवं देखरेख अधिनियम, 2017 अंतर्गत प्रकरण।</p> <p>15. मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।</p> <p>16. धारा 22 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 अंतर्गत समस्त प्रकरण।</p> <p>17. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।</p>
	<p>तहसील कन्नौद एवं सतवास (सत्र खण्ड कन्नौद)</p>		<p>18. विद्युत अधिनियम, 2003 अंतर्गत प्रकरण एवं तत्संबंधी जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य कार्यवाहियां (अधिसूचना अनुसार)</p> <p>19. तहसील कन्नौद पर पदस्थ वर्तमान न्यायिक मजिस्ट्रेट (श्रीमती मीना शाह व सुश्री नंदिनी उइके) एवं पूर्व से रिक्त न्यायालयों के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं ग्राम न्यायाधिकारी कन्नौद द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों से उद्भूत अपीलें एवं आपराधिक पुनरीक्षण प्रकरण।</p> <p>20. तहसील कन्नौद एवं सतवास के अंतर्गत उद्भूत धारा 438 एवं 439 दप्रस अंतर्गत प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र (एस.सी/एस. टी. एक्ट, एनडीपीएस एक्ट को छोड़कर) एवं द.प्र.सं. अंतर्गत प्रस्तुत अन्य आवेदन।</p> <p>21. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 अंतर्गत प्रस्तुत अभियोग पत्र, जमानत आवेदन पत्र एवं रिमांड आदि से संबंधित समस्त कार्यवाहियां।</p> <p>22. सत्र खण्ड, कन्नौद की अधिकारिता से उद्भूत निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं समस्त कार्यवाहियां (अधिसूचना अनुसार)</p> <p>23. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर सामान्य एवं विशेष आदेश द्वारा अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें,</p>

			<p>आपराधिक पुनरीक्षण एवं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 एवं अन्य अधिनियम अंतर्गत कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।</p>
14.	<p>द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कन्नौद (श्री अमित निगम)</p>	<p>तहसील कन्नौद एवं सतवास</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत तहसील सतवास के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले मोटर दुर्घटना दावे, उक्त क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत स्थानीय निवास करने वाले संबंधित दावेदारों द्वारा प्रस्तुत मोटर दुर्घटना दावे निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 2. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड कन्नौद, तथा पूर्व से व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, कन्नौद के रिक्त न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय, आज्ञाप्ति एवं आदेशों से उत्पन्न सिविल एवं विविध सिविल अपीलें। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां। 4. भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण। 5. भू-अर्जन अधिनियम अंतर्गत प्रकरण। 6. भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार, सुधार तथा पुनर्वास अधिनियम 2013 अंतर्गत प्रकरण। (भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन) 7. स्वयं के न्यायालय के उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 8. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।
			<ol style="list-style-type: none"> 9. तहसील कन्नौद पर पदस्थ वर्तमान न्यायिक मजिस्ट्रेट (श्रीमती सोनाली शर्मा व श्री कुंदन कछवाहे) कन्नौद द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों से उद्भूत अपीलें एवं आपराधिक पुनरीक्षण प्रकरण। 10. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर सामान्य एवं विशेष आदेश द्वारा अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 एवं अन्य अधिनियम अंतर्गत कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
15.	<p>द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश खातेगांव, विशेष न्यायाधीश, (विद्युत अधिनियम, 2003) (श्री सुशील कुमार अग्रवाल)</p>	<p>तहसील खातेगांव</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. समस्त व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन 1,00,00,000/- (एक करोड़) से अधिक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। स्वयं के न्यायालय के उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 2. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कनिष्ठ खण्ड खातेगांव एवं पूर्व से रिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड, खातेगांव द्व

			<p>ारा पारित समस्त निर्णय, आज्ञापति एवं आदेशों से उत्पन्न सिविल एवं विविध सिविल अपीलें।</p> <ol style="list-style-type: none">3. माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 से सम्बद्ध प्रकरण निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां, धारा 11(6) के अतिरिक्त।4. मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत अपीलें।5. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम अंतर्गत चुनाव याचिकाएं।6. लघु वाद प्रकरण, जिनका मूल्यांकन 500/- रुपये से अधिक एवं 1000/- रुपये तक हो तथा उक्त से सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां।7. मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत तहसील खातेगांव के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले मोटर दुर्घटना दावे, उक्त क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत स्थानीय निवास करने वाले संबंधित दावेदारों द्वारा प्रस्तुत मोटर दुर्घटना दावे निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां।8. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण।9. हिन्दू अप्राप्तवय संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1956 के तहत व हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत तथा संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण।10. विशेष विवाह अधिनियम अंतर्गत समस्त प्रकरण।11. हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के समस्त प्रकरण।12. प्रोबेट प्रकरण।13. भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण।14. प्रांतीय शोध अधिनियम, 1920 के अधीन रुपये 1,00,00,000/- (एक करोड़) से अधिक मूल्यांकन के प्रकरण।15. मानसिक स्वास्थ्य एवं देखरेख अधिनियम, 2017 अंतर्गत प्रकरण।16. मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।17. भू-अर्जन अधिनियम अंतर्गत प्रकरण18. भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार, सुधार तथा पुनर्वास अधिनियम, 2013 अंतर्गत प्रकरण। (भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन)19. धारा 22 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 अंतर्गत समस्त प्रकरण।20. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद,
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।
	तहसील खातेगांव (सत्र खण्ड, खातेगांव)		<p>21. विद्युत अधिनियम, 2003 अंतर्गत प्रकरण एवं तत्संबंधी जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य कार्यवाहियां (अधिसूचनानुसार)</p> <p>22. तहसील खातेगांव पर पदस्थ वर्तमान न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं पूर्व से रिक्त न्यायालयों के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों से उद्भूत अपीलें एवं आपराधिक पुनरीक्षण प्रकरण।</p> <p>23. तहसील खातेगांव के अंतर्गत उद्भूत धारा 438 एवं 439 दप्रस अंतर्गत प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र (एस.सी./एस.टी. एक्ट, एनडीपीएस एक्ट को छोड़कर) एवं द.प्र.सं. अंतर्गत प्रस्तुत अन्य आवेदन।</p> <p>24. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 अंतर्गत प्रस्तुत अभियोग पत्र, जमानत आवेदन पत्र एवं रिमांड आदि से संबंधित समस्त कार्यवाहियां।</p> <p>25. सत्र खण्ड, खातेगांव की अधिकारिता से उद्भूत निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं समस्त कार्यवाहियां (अधिसूचना अनुसार)</p> <p>26. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर सामान्य एवं विशेष आदेश द्वारा अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 एवं अन्य अधिनियम अंतर्गत कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।</p>
16	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास (डॉ श्री रविकांत सोलंकी)	तहसील देवास	<p>1. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 410 के अंतर्गत प्रस्तुत अंतरण आवेदन। (सत्र खण्ड देवास)</p> <p>2. ग्राम पंचायतों द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न आपराधिक अपीलें।(सत्र खण्ड देवास)</p> <p>3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।</p>
17	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास (रिक्त न्यायालय)	तहसील देवास	-----
18	प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड देवास (सुश्री अंजना यादव)	जिला देवास	<p>1. किशोर न्याय बोर्ड, देवास के न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं उनसे संबंधित कार्यवाहियां।</p>
19	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास एवं न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, देवास (श्री नीलेन्द्र कुमार तिवारी)	तहसील देवास	<p>1. ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 (2009 का 4) तहसील देवास के अंतर्गत 25000/- रुपये की राशि तक के आर्थिक क्षेत्राधिकार के द्वितीय अनुसूची के सिविल प्रकृति के निम्नानुसार मामलें जो ग्राम न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य हों, वे समस्त प्रकरण। (अधिसूचना अनुसार) :- (i) सिविल विवाद:</p>

		<p>(क) संपत्ति क्रय करने का अधिकार, (ख) सामान्य चरागाहों का उपयोग, (ग) सिंचाई सरणियों से जल लेने का विनियमन और समय, (ii) संपत्ति विवाद: (क) ग्राम और फार्म हाउस (कब्जा) (ख) जनसरणियां, (ग) कुएं या नलकूप से जल लेने का अधिकार (iii) अन्य विवाद: (क) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) के अधीन दावे, (ख) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) के अधीन दावे, (ग) व्यापार संव्यवहार या साहूकारी से उद्भूत धन संबंधी वाद, (घ) भूमि पर खेती में भागीदारी से उद्भूत विवाद, (ङ) ग्राम पंचायतों के निवासियों द्वारा वन उपज के उपयोग के संबंध में विवाद।</p> <p>2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।</p>
	<p>तहसील देवास (सिविल न्यायालय, देवास)</p>	<p>1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन 5,00,000/- (पांच लाख) रुपये से अधिक किन्तु 1,00,000,00/- (एक करोड़) तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां।</p> <p>2. लघुवाद रुपये 200/- से अधिक किन्तु 500/- रुपये तक मूल्यांकन वाले प्रकरण।</p> <p>3. स्वयं के न्यायालय व प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड देवास एवं पूर्व से व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, देवास के रिक्त न्यायालयों से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों से संबंधित निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां।</p> <p>4. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम-1925 के भाग-10 अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र संबंधी प्रकरण।</p> <p>5. अन्य सभी व्यवहार प्रकरण जिसके लिए अन्य किसी व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, देवास को प्राधिकृत नहीं किया गया है तथा जो देवास के व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, देवास के क्षेत्रांतर्गत है।</p> <p>6. प्रांतीय शोध अधिनियम-1920 के अधीन रुपये 1,00,000,00/- (एक करोड़) तक मूल्यांकन के प्रकरण।</p> <p>7. धारा 172 मध्यप्रदेश नगरपालिक अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रस्तुत अपील प्रकरण।</p>

			8. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
20.	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास (सुश्री दीक्षा दोहरे)	तहसील देवास (सिविल न्यायालय, देवास)	1. स्वयं के न्यायालय के उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
21.	पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास (रिक्त न्यायालय)	तहसील देवास	-----
22.	षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास (रिक्त न्यायालय)	तहसील देवास	-----
23.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास (सुश्री रश्मि खुराना)	तहसील देवास (सिविल न्यायालय, देवास)	1. समस्त मूल व्यवहार वाद "वाणिज्यिक विवाद" सहित जिनका मूल्यांकन 2,00,000/- (दो लाख) रुपये से अधिक किन्तु 3,00,000/- (तीन लाख) तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. स्वयं के न्यायालय के उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 3. अन्य सभी व्यवहार प्रकरण, जिसके लिये अन्य किसी व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड को प्राधिकृत नहीं किया गया है तथा जो देवास में व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के क्षेत्रांतर्गत हैं। 4. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
24.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास (श्री प्रियांशु पाण्डे)	तहसील देवास (सिविल न्यायालय, देवास)	1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन 3,00,000/- (तीन लाख) रुपये से अधिक किन्तु 5,00,000/- (पांच लाख) तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम अंतर्गत सिविल जिला देवास अंतर्गत 3,00,000/- रुपये (तीन लाख) रुपये तक के वाणिज्यिक विवाद संबंधित वाद। 3. लघु वाद रुपये 200/- मूल्यांकन तक वाले प्रकरण एवं उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 4. स्वयं के न्यायालय तथा व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड एवं प्रशिक्षु न्यायाधीशगण, देवास के पूर्व से रिक्त न्यायालयों से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च एवं उच्चतम न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों से संबंधित निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 5. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।

25.	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास (श्रीमती किरण सिंह)	तहसील देवास (सिविल न्यायालय, देवास)	<ol style="list-style-type: none"> 1. समस्त मूल व्यवहार वाद "वाणिज्यिक विवाद" सहित जिनका मूल्यांकन 1,00,000/- (एक लाख) रुपये से अधिक किन्तु 2,00,000/- (दो लाख) तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. स्वयं के न्यायालय के उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
26.	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास (श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी)	तहसील देवास (सिविल न्यायालय, देवास)	<ol style="list-style-type: none"> 1. समस्त मूल व्यवहार वाद "वाणिज्यिक विवाद" सहित जिनका मूल्यांकन 50,000/- (पचास हजार) रुपये से अधिक किन्तु 1,00,000/- (एक लाख) तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. स्वयं के न्यायालय के उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
27.	पंचम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, देवास (रिक्त न्यायालय)	तहसील-देवास	-----
28.	षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास (रिक्त न्यायालय)	तहसील देवास (सिविल न्यायालय, देवास)	-----
29.	सप्तम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास (श्री कुंवर युवराज सिंह)	तहसील देवास (सिविल न्यायालय, देवास)	<ol style="list-style-type: none"> 1. स्वयं के न्यायालय के उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
30.	अष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास (रिक्त न्यायालय)	तहसील देवास (सिविल न्यायालय, देवास)	-----
31.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, देवास (श्री सौरभ जैन)	तहसील देवास (सिविल न्यायालय, देवास)	<ol style="list-style-type: none"> 1. समस्त मूल व्यवहार वाद "वाणिज्यिक विवाद" सहित जिनका मूल्यांकन 1/- (एक रुपये) से 50,000/- (पचास हजार रुपये) तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. स्वयं के न्यायालय के उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
32.	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, टोंकखुर्द, (श्री बुदेसिंह सोलंकी)	तहसील टोंकखुर्द (सिविल न्यायालय, टोंकखुर्द)	<ol style="list-style-type: none"> 1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन 5,00,000/- (पांच लाख) रुपये से अधिक किन्तु 1,00,00,000/- (एक करोड़) रुपये तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. स्वयं के न्यायालय तथा व्यवहार न्यायाधीश

			<p>वरिष्ठ खण्ड, टोंकखुर्द के पूर्व से रिक्त न्यायालयों से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च एवं उच्चतम न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों से संबंधित निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां।</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. प्रांतीय शोध अधिनियम 1920 के अधीन रूपये 1,00,00,000/- (एक करोड़) तक मूल्यांकन के प्रकरण। 4. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के भाग-10 अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी प्रकरण। 5. अन्य सभी व्यवहार प्रकरण, जो टोंकखुर्द व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के क्षेत्रांतर्गत हैं। 6. लघु वाद मूल्यांकन 200/- रूपये से अधिक किन्तु 500/- (पांच सौ) रूपये मूल्यांकन तक वाले प्रकरण। 7. धारा 172 मध्यप्रदेश नगरपालिक अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रस्तुत अपील प्रकरण। 8. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
33.	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, टोंकखुर्द, (सुश्री आयुषी श्रीवास्तव)	तहसील टोंकखुर्द (सिविल न्यायालय, टोंकखुर्द)	<ol style="list-style-type: none"> 1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन 5,00,000/- (पांच लाख) रूपये तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम अंतर्गत 3,00,000/- रूपये (तीन लाख) रूपये तक के वाणिज्यिक विवाद संबंधित वाद। 3. स्वयं के न्यायालय से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां तथा पूर्व से रिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय से संबंधित माननीय उच्च एवं उच्चतम न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों से संबंधित निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 4. लघु वाद 200/- (दो सौ) रूपये तक मूल्यांकन वाले प्रकरण। 5. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण। 6. अन्य सभी सिविल प्रकरण, जो टोंकखुर्द व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के क्षेत्रांतर्गत हैं।
34.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 सोनकच्छ (रिक्त न्यायालय)	तहसील सोनकच्छ	-----
35.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 सोनकच्छ (रिक्त न्यायालय)	तहसील सोनकच्छ	-----
36.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सोनकच्छ के न्यायालय के अतिरिक्त	तहसील सोनकच्छ (सिविल न्यायालय, सोनकच्छ)	<ol style="list-style-type: none"> 1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन 5,00,000/- (पांच लाख) रूपये से अधिक किन्तु 1,00,00,000/- (एक करोड़) तक हो

<p>न्यायाधीश, सोनकच्छ (सुश्री स्वाति बजाज)</p>		<p>तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां।</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. स्वयं के न्यायालय तथा तहसील सोनकच्छ के व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं अन्य पूर्व से रिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड के न्यायालयों से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च एवं उच्चतम न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों से संबंधित निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 3. प्रांतीय शोध अधिनियम 1920 के अधीन रूपये 1,00,00,000/- (एक करोड़) तक मूल्यांकन के प्रकरण। 4. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के भाग-10 अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी प्रकरण। 5. अन्य सभी व्यवहार प्रकरण, जिसके लिये अन्य किसी व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड को प्राधिकृत नहीं किया गया है तथा जो सोनकच्छ में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के क्षेत्रांतर्गत हैं। 6. लघु वाद मूल्यांकन 200/- रूपये से अधिक किन्तु 500/- (पांच सौ) रूपये मूल्यांकन तक वाले प्रकरण। 7. धारा 172 मध्यप्रदेश नगरपालिक अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रस्तुत अपील प्रकरण। 8. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
<p>37. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सोनकच्छ (सुश्री निकिता पंवार)</p>	<p>तहसील सोनकच्छ (सिविल न्यायालय, सोनकच्छ)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन एक रूपये से 5,00,000/- (पांच लाख) रूपये तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम अंतर्गत 3,00,000/- रूपये (तीन लाख) रूपये तक के वाणिज्यिक विवाद संबंधित वाद। 3. स्वयं के न्यायालय तथा तहसील मुख्यालय सोनकच्छ के व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के पूर्व से रिक्त न्यायालय से संबंधित प्रकरण तथा माननीय उच्च एवं उच्चतम न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों से संबंधित निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 4. लघु वाद 200/- (दो सौ) रूपये तक मूल्यांकन वाले प्रकरण। 5. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
<p>38. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बागली, (श्री राकेश कुमार जाटव)</p>	<p>तहसील बागली, हाटपिपल्या एवं उदयनगर (सिविल न्यायालय, बागली)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन 50,00,000/- (पचास लाख रूपये) से अधिक किन्तु रु. 1,00,00,000/- (एक करोड़) तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां।

			<ol style="list-style-type: none"> 2. स्वयं के न्यायालय तथा तहसील बागली के व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं अन्य पूर्व से रिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड के न्यायालयों से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च एवं उच्चतम न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों से संबंधित निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 3. प्रांतीय शोध अधिनियम, 1920 के अधीन रूपये 1,00,00,000/- (एक करोड़) तक मूल्यांकन के प्रकरण। 4. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के भाग-10 अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी प्रकरण। 5. अन्य सभी व्यवहार प्रकरण, जिसके लिये अन्य किसी व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड को प्राधिकृत नहीं किया गया है तथा जो बागली में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के क्षेत्रांतर्गत हैं। 6. लघु वाद मूल्यांकन 200/- रूपये से अधिक किन्तु 500/- (पांच सौ) रूपये मूल्यांकन तक वाले प्रकरण। 7. धारा 172 मध्यप्रदेश नगरपालिक अधिनियम, 1961 के अंतर्गत प्रस्तुत अपील प्रकरण। 8. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
39.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बागली (श्रीमती सरिता पारस)	तहसील बागली, हाटपिपल्या एवं उदयनगर	<ol style="list-style-type: none"> 1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन 5,00,000/- (पांच लाख रूपये) से अधिक किन्तु रु. 50,00,000/- (पचास लाख) तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. स्वयं के न्यायालय के उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
40.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बागली (सुश्री वीणा अग्निहोत्री)	तहसील बागली, हाटपिपल्या एवं उदयनगर (सिविल न्यायालय, बागली)	<ol style="list-style-type: none"> 1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन 50,000/- (पचास हजार रूपये) से अधिक किन्तु रु. 5,00,000/- (पांच लाख) तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम अंतर्गत 3,00,000/- रूपये (तीन लाख) रूपये तक के वाणिज्यिक विवाद संबंधित वाद। 3. लघु वाद रूपये 200/- (दो सौ) रूपये मूल्यांकन तक वाले प्रकरण एवं उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 4. स्वयं के न्यायालय से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 5. तहसील मुख्यालय बागली पर व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के पूर्व से रिक्त न्यायालयों से संबंधित निष्पादन एवं विविध

			<p>कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च एवं उच्चतम न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों से संबंधित निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां।</p> <p>6. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।</p>
41.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बागली (सुश्री आयुषी मालवीय)	तहसील बागली, हाटपिपल्या एवं उदयनगर	<p>1. समस्त मूल व्यवहार वाद "वाणिज्यिक विवाद" सहित जिनका मूल्यांकन 1/- (एक रुपये) से 50,000/- (पचास हजार रुपये) तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां।</p> <p>2. स्वयं के न्यायालय से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां।</p> <p>3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।</p>
42.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कन्नौद एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय कन्नौद (श्रीमती मीना शाह)	तहसील कन्नौद, सतवास (सिविल न्यायालय, कन्नौद)	<p>1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन 50,00,000/- (पचास लाख रुपये) से अधिक किन्तु रु. 1,00,00,000/- (एक करोड़) तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां।</p> <p>2. स्वयं के न्यायालय से एवं ग्राम न्यायालय से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां।</p> <p>3. लघु वाद 200/- रुपये (दो सौ) से अधिक किन्तु 500/- (पांच सौ) रुपये तक मूल्यांकन वाले प्रकरण।</p> <p>4. ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) तहसील कन्नौद एवं सतवास के अंतर्गत 25000/- रुपये की राशि तक के आर्थिक क्षेत्राधिकार के द्वितीय अनुसूची के सिविल प्रकृति के निम्नानुसार मामलें जो ग्राम न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य हों, वे समस्त प्रकरण। (अधिसूचना अनुसार) :-</p> <p>(i) सिविल विवाद:</p> <p>(क) संपत्ति क्रय करने का अधिकार, (ख) सामान्य चरागाहों का उपयोग, (ग) सिंचाई सरणियों से जल लेने का विनियमन और समय,</p> <p>(ii) संपत्ति विवाद:</p> <p>(क) ग्राम और फार्म हाउस (कब्जा) (ख) जनसरणियां, (ग) कुएं या नलकूप से जल लेने का अधिकार</p> <p>(iii) अन्य विवाद:</p> <p>(क) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) के अधीन दावे, (ख) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948</p>

			<p>(1948 का 11) के अधीन दावे, (ग) व्यापार संव्यवहार या साहूकारी से उद्भूत धन संबंधी वाद, (घ) भूमि पर खेती में भागीदारी से उद्भूत विवाद, (ङ) ग्राम पंचायतों के निवासियों द्वारा वन उपज के उपयोग के संबंध में विवाद।</p> <p>5. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।</p>
43.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कन्नौद (श्रीमती नंदिनी उइके)	तहसील कन्नौद, सतवास	<p>1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन 5,00,000/- (पांच लाख रुपये) से अधिक किन्तु रु. 50,00,000/- (पचास लाख) तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां।</p> <p>2. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के भाग-10 अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी प्रकरण।</p> <p>3. प्रांतीय शोध अधिनियम, 1920 के अधीन रुपये 1,00,00,000/- (एक करोड़) तक मूल्यांकन के प्रकरण।</p> <p>4. धारा 172 मध्यप्रदेश नगरपालिक अधिनियम, 1961 के अंतर्गत प्रस्तुत अपील प्रकरण।</p> <p>5. अन्य सभी व्यवहार प्रकरण, जो कन्नौद में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, के क्षेत्रांतर्गत हैं तथा माननीय उच्च एवं उच्चतम न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों से संबंधित निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां।</p> <p>6. तहसील कन्नौद पूर्व से व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के रिक्त न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय/आदेश से उद्भूत निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां।</p> <p>7. स्वयं के न्यायालय से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां।</p> <p>8. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।</p>
44.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, कन्नौद (श्रीमती सोनाली शर्मा)	तहसील कन्नौद, सतवास (सिविल न्यायालय, कन्नौद)	<p>1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन एक रुपये से 3,00,000/- (तीन लाख) रुपये तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां।</p> <p>2. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम अंतर्गत 3,00,000/- रुपये (तीन लाख) रुपये तक के वाणिज्यिक विवाद संबंधित वाद।</p> <p>3. स्वयं के न्यायालय से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां।</p> <p>4. लघु वाद रुपये 200/- (दो सौ) रुपये मूल्यांकन तक वाले प्रकरण एवं उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां।</p> <p>5. स्वयं के न्यायालय तथा तहसील मुख्यालय</p>

			<p>कन्नौद के व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के पूर्व से रिक्त न्यायालय से संबंधित प्रकरण तथा माननीय उच्च एवं उच्चतम न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों से संबंधित निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां।</p> <p>6. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।</p>
45.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, कन्नौद (श्री कुंदन कछवाहे)	तहसील कन्नौद एवं सतवास (सिविल न्यायालय, कन्नौद)	<p>1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन 3,00,000/- (तीन लाख) रुपये से अधिक किन्तु 5,00,000/- (पांच लाख) तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां।</p> <p>2. स्वयं के न्यायालय से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां।</p> <p>3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।</p>
46.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, खातेगांव (श्री पंकज सविता)	तहसील खातेगांव	<p>1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन 5,00,000/- (पांच लाख रुपये) से अधिक किन्तु रु. 50,00,000/- (पचास लाख) तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां।</p> <p>2. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के भाग-10 अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी प्रकरण।</p> <p>3. धारा 172 मध्यप्रदेश नगरपालिक अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रस्तुत अपील प्रकरण।</p> <p>4. लघु वाद 500/- (पांच सौ) रुपये तक मूल्यांकन वाले प्रकरण एवं उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां।</p> <p>5. अन्य सभी व्यवहार प्रकरण, जिसके लिये अन्य किसी व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, को प्राधिकृत नहीं किया गया है तथा जो खातेगांव में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, के क्षेत्रांतर्गत हैं।</p> <p>6. तहसील न्यायालय खातेगांव में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, के माननीय उच्च एवं उच्चतम न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों से संबंधित निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां।</p> <p>7. स्वयं के न्यायालय से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां।</p> <p>8. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।</p>
47.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, खातेगांव (श्रीमती राधा उइके)	तहसील खातेगांव (सिविल न्यायालय, खातेगांव)	<p>1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन 50,00,000/- (पचास लाख रुपये) से अधिक किन्तु रु. 1,00,00,000/- (एक करोड़) तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां।</p> <p>2. स्वयं के न्यायालय से उद्भूत निष्पादन प्रकरण</p>

			<p>एवं विविध कार्यवाहियां।</p> <p>3. प्रांतीय शोध अधिनियम 1920 के अधीन रूपये 1,00,00,000/- (एक करोड़) तक मूल्यांकन के प्रकरण।</p> <p>4. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।</p>
48.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, खातेगांव (श्री राजू पन्डे)	तहसील खातेगांव (सिविल न्यायालय, खातेगांव)	<p>1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन एक रूपये से 5,00,000/- (पांच लाख) तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां।</p> <p>2. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम अंतर्गत 3,00,000/- रूपये (तीन लाख) रूपये तक के वाणिज्यिक विवाद संबंधित वाद।</p> <p>3. लघु वाद रूपये 200/- (दो सौ) रूपये मूल्यांकन तक वाले प्रकरण एवं उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां।</p> <p>4. तहसील मुख्यालय खातेगांव पर व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के पूर्व से रिक्त न्यायालयों से संबंधित निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च एवं उच्चतम न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों से संबंधित निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां।</p> <p>5. स्वयं के न्यायालय से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां।</p> <p>6. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।</p>

मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट अधिनियम 1958 की धारा 15, 18, 19 व 21(4) तथा द0प्र0स0 1973 अंतर्गत वेष्टित शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए इस निमित्त पूर्व से प्रदत्त समस्त आदेशों का निवर्तन कर, जिले के न्यायाधीशगण के पद, अस्थाई रिक्त पद, सिविल जिला देवास में पदस्थ न्यायाधीशगण के अनुपस्थिति, मुख्यालय छोड़कर जिले के किसी भी स्थान पर जाने, अवकाशकाल, ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन अवधि में अन्यथा आदेश होने तक आवश्यक कार्यभार की निम्न क्रमानुसार व्यवस्था की जाती है-

क.	न्यायालय का नाम	प्रभारी न्यायालय	प्रभारी न्यायालय की अनुपस्थिति में कमशः प्रभारी न्यायालय
01.	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास	विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम, 1989	प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश देवास तथा द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सोनकच्छ
02.	विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम, 1989 (माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक सी/2264/III-6-3/90 दिनांक 14.09.2020 अनुसार)	मुख्यालय देवास के वरिष्ठ अपर सत्र न्यायाधीश	सत्र खण्ड, देवास पर उपलब्ध क्रमानुसार वरिष्ठ अपर सत्र न्यायाधीश/सत्र न्यायाधीश, देवास तथा इनकी अनुपस्थिति में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास

03.	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश देवास एवं विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988)	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास (केवल भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के प्रकरणों हेतु) एवं शेष अन्य प्रकरणों हेतु विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम, देवास	तृतीय, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश तथा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोनकच्छ
04.	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देवास के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश देवास	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास	प्रथम, तृतीय, पंचम, चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश देवास, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम देवास तथा द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सोनकच्छ
05.	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश देवास	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देवास के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश देवास, तृतीय, चतुर्थ, पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश देवास, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम तथा द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सोनकच्छ
06.	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास	पंचम, द्वितीय, प्रथम, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देवास के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश देवास, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम देवास तथा द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सोनकच्छ
07.	चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश देवास	पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास	द्वितीय, तृतीय, प्रथम, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश देवास, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देवास के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश देवास, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम देवास तथा द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सोनकच्छ
7A	विशेष न्यायाधीश, एन.डी. पी.एस. एक्ट 1985 (माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना अनुसार)	मुख्यालय देवास पर उपलब्ध वरिष्ठ अपर सत्र न्यायाधीश	सत्र खण्ड, देवास पर उपलब्ध क्रमानुसार वरिष्ठ अपर सत्र न्यायाधीश/सत्र न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, जिला-देवास
08.	पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश देवास एवं विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम 2003)	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास	चतुर्थ, तृतीय, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश देवास, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देवास के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश देवास, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम देवास तथा द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सोनकच्छ
09.	जिला मुख्यालय देवास (रिक्त न्यायालय) एवं ऐसे अन्य जिला एवं अपर सत्र	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास	तृतीय, चतुर्थ, पंचम, प्रथम, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश देवास, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/जनजाति

			व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास
47.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, खातेगांव	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, खातेगांव	द्वितीय, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कन्नौद, प्रथम, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बागली प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सोनकच्छ के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश सोनकच्छ, तृतीय एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास
48.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, खातेगांव	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, खातेगांव	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, खातेगांव, प्रथम, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, कन्नौद, प्रथम, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कन्नौद, प्रथम, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बागली, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सोनकच्छ, प्रथम, सप्तम्, एवं द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास

टिप्पणी:-

- 1- प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय देवास के अवकाश पर होने अथवा उनकी अन्यत्र जिले में श्रृंखला न्यायालय होने के कार्य दिवसों में अत्यावश्यक प्रकृति एवं अन्य न्यायालयीन कार्य हेतु विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम, 1989 उपरांत क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम अपर सत्र न्यायाधीश देवास व प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश देवास को प्राधिकृत किया जाता है।
- 2- माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी. 1654/III-2-3/89 दिनांक 18.04.2022 एवं पूर्ववर्ती अधिसूचना क्रमांक सी./2262 दिनांक 14.09.2020 के आलोक में न्यायालय-विशेष न्यायाधीश (S.C./S.T. Act) देवास के पीठासीन न्यायाधीश के अवकाश पर होने अथवा उनका स्थानांतरण होने या अन्य किसी कारणवश पद रिक्त होने की दशा में, उक्त न्यायालय के अत्यावश्यक प्रकृति के प्रस्तुत अथवा लंबित आवेदनों के निपटान हेतु मुख्यालय पर पदस्थ द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश को एवं उनकी अनुपस्थिति में क्रमशः प्रथम, तृतीय, चतुर्थ, पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश देवास एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास को अधिकृत किया जाता है।
- 3- माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी. 1654/III-2-3/89 दिनांक 18.04.2022 एवं पूर्ववर्ती अधिसूचना क्रमांक सी./2262 दिनांक 14.09.2020 के आलोक में न्यायालय-विशेष न्यायाधीश (N.D.P.S. Act) देवास के पीठासीन न्यायाधीश के अवकाश पर होने अथवा उनका स्थानांतरण होने या अन्य किसी कारणवश पद रिक्त होने की दशा में, उक्त न्यायालय के अत्यावश्यक प्रकृति के प्रस्तुत अथवा लंबित आवेदनों के निपटान हेतु मुख्यालय पर पदस्थ प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश को एवं उनकी अनुपस्थिति में क्रमशः द्वितीय, तृतीय, पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश देवास देवास को अधिकृत किया जाता है।
- 4- सत्र न्यायाधीश देवास की अनुपस्थिति या अवकाशकाल में ऐसे प्रकरणों में जिन्हें सत्र न्यायालय को उपार्पित नहीं किया गया है या उन्हें किसी अन्य न्यायालय को सुनवाई हेतु अंतरित नहीं किया गया है, जैसी भी स्थिति हो, धारा 438, 439 दप्रस 1973 के पूर्व में

निराकृत आवेदन पत्रों के पश्चात् उन्हीं अभियुक्तगण के पश्चात्वर्ती जमानत प्रार्थना-पत्र ऐसे न्यायाधीश या उसके उत्तराधिकारी (क्रमशः विशेष न्यायाधीश एस.सी./ एस.टी. एकट द्वितीय, प्रथम, तृतीय, चतुर्थ, पंचम अपर सत्र न्यायाधीश व प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश देवास) द्वारा श्रवण एवं निराकृत किये जा सकेंगे, जिनके द्वारा प्रथम जमानत आवेदन-पत्र निराकृत किया गया है।

- 5- सत्र न्यायाधीश, देवास के दो दिवस से अधिक लम्बी अवधि के अवकाश पर रहने की स्थिति में **मुख्यालय पर प्रस्तुत होने वाले प्रथम जमानत आवेदन पत्र** अन्तर्गत धारा 438 एवं 439 दं.प्र.सं. विधिवत सुनवायी के लिए आगामी आदेश होने तक प्रथम जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर, सप्ताह के सोमवार व गुरुवार के दिन प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, देवास (म.प्र.) व मंगलवार एवं शुक्रवार के दिन द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, देवास (म.प्र.) तथा बुधवार एवं शनिवार के दिन तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, देवास (म.प्र.) के समक्ष प्रस्तुत किये जाएंगे, जो सम्बंधित न्यायालय को विधिवत् सुनवाई एवं निराकरण हेतु अंतरित समझे जायेंगे। साथ ही सत्र न्यायाधीश, देवास के लम्बी अवधि के अवकाश पर रहने के दौरान पूर्व में निराकृत आरोपी से संबंधित द्वितीय एवं अन्य जमानत आवेदन पत्र तथा एक ही अपराध क्रमांक में सह आरोपी द्वारा प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदन पत्र उसी न्यायाधीश द्वारा सुनवाई कर निराकृत किये जाएंगे, जिसके द्वारा पूर्व में अन्य सह आरोपी के जमानत आवेदन पत्र का निराकरण किया गया है। उपरोक्तानुसार प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र कार्यविभाजन पत्रक के अनुसार, उसी न्यायालय द्वारा निराकृत किये जाएंगे, जिनके द्वारा पूर्ववर्ती आवेदन पत्र निराकृत किये गये थे। ऐसे आवेदन पत्र विधिवत निराकृत हेतु संबंधित अपर सत्र न्यायाधीश, देवास के समक्ष सीधे रखे जाएंगे।
- 6- जिला मुख्यालय देवास पर किसी अपर सत्र न्यायाधीश के स्थानांतरण या अन्यथा परिस्थिति वश न्यायालय रिक्त होने के स्थिति में ऐसे रिक्त न्यायालयों के न्यायिक कार्य माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के निर्णय एवं आदेशों के निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियाँ तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, देवास को रिक्त न्यायालय का उत्तरवर्ती न्यायालय निर्धारित कर, उक्त कार्य हेतु प्राधिकृत किया जाता है।
- 7- बाह्यवर्ती न्यायालयों में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (टॉकखुर्द, सोनकच्छ बागली, कन्नौद एवं खातेगांव) के न्यायालयों द्वारा अनेन्य रूपेण सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों को सीधे संबंधित बाह्यवर्ती न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को उपापिंत किया जाएगा किन्तु ऐसे प्रकरणों को मात्र सत्र पंजी में प्रविष्ट करने हेतु सत्र न्यायालय देवास भेजा जाएगा।
- 8- न्यायिक जिला देवास के ऐसे प्रकरण जिनमें लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 (पॉक्सो एक्ट) के अतिरिक्त अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1988 का भी अभियोग है, उनकी रिमांड कार्यवाही, जमानत प्रार्थना-पत्र एवं अभियोग पत्र संबंधी कार्यवाहियां सीधे, विशेष न्यायालय-**प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देवास के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (POCSO Act) देवास** में प्रस्तुत की जाएगी।
- 9- जिले के समस्त तहसील न्यायालयों के निर्णय एवं आदेशों से उद्भूत आपराधिक अपीलें एवं पुनरीक्षण सीधे प्रत्येक तहसील न्यायालय के संबंधित जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में प्रस्तुत होंगे, जो उन्हें प्राप्त कर, सत्र न्यायालय को अपील पुनरीक्षण पंजी में दर्ज करने हेतु प्रेषित करेगा।
- 10- सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश देवास, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, व पंचम अपर सत्र न्यायाधीश देवास एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश देवास एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सोनकच्छ, बागली, कन्नौद एवं खातेगांव की अनुपस्थिति में अत्यावश्यक आवेदन पत्र धारा 10 (3) दप्रस अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास द्वारा सनवाई कर निराकृत किये जाएंगे।

- 11- जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बागली की श्रृंखला न्यायालय कन्नौद, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (फास्टट्रैक) कन्नौद जिनके न्यायालय वर्तमान में रिक्त हैं। इन न्यायालयों से संबंधित समस्त प्रकरण एवं न्यायिक कार्य तथा माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के निर्णय एवं आदेशों के निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियों हेतु जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कन्नौद को रिक्त न्यायालयों का उत्तरवर्ती न्यायालय निर्धारित कर, उक्त कार्य हेतु प्राधिकृत किया जाता है। उक्त न्यायालय से संबंधित समस्त प्रकरण उनके न्यायालय में प्रस्तुत एवं निराकृत किये जाएंगे।
- 12- जिले में पदस्थ प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम जिला न्यायाधीश, देवास के स्थानांतरण अथवा पद रिक्त होने की स्थिति में उनके न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले सिविल, अपील प्रकरण, विविध अपील एवं अन्य समस्त विविध कार्यवाहियां उनके उत्तरवर्ती न्यायालय द्वारा की जावेगी।
- 13- प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सोनकच्छ का न्यायालय वर्तमान में रिक्त है। जिससे उक्त न्यायालय से संबंधित समस्त प्रकरण एवं न्यायिक कार्य तथा माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के निर्णय एवं आदेशों के निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियां, द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सोनकच्छ को रिक्त न्यायालय का उत्तरवर्ती न्यायालय निर्धारित कर, उक्त कार्य हेतु प्राधिकृत किया जाता है। उक्त न्यायालय से संबंधित समस्त प्रकरण उनके न्यायालय में प्रस्तुत होंगे एवं निराकृत किये जाएंगे।
- 14- जिले में पदस्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड या व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के स्थानांतरण अथवा पद रिक्त होने की स्थिति में उनके न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के सिविल प्रकरण एवं अन्य समस्त विविध कार्यवाहियां उनके उत्तरवर्ती न्यायालय द्वारा की जावेगी।
- 15- बाह्यवर्ती तहसील न्यायालयों में पदस्थ अपर सत्र न्यायाधीशगण के न्यायालयों में लंबित नियमित सुनवाई के सभी आपराधिक प्रकरणों को सम्बंधित अपर सत्र न्यायाधीश व उनके स्थानीय प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश (जहां एकाधिक अपर सत्र न्यायाधीश पदस्थ हों) की अनुपस्थिति में सम्बंधित स्थानीय तहसील न्यायालय में पदस्थ कमवर्ती वरिष्ठतम व्यवहार न्यायाधीश, जो तत्समय उपलब्ध होंगे, वे प्रभारी न्यायाधीश के रूप में प्रकरणों की कार्यवाहियों को यथावत् आगामी तिथि तक बढ़ाए जाने हेतु अधिकृत रहेंगे।
- 16- सिविल जिला-देवास अंतर्गत वाणिज्यिक विवाद सम्बंधी ऐसे प्रकरण, जिनका मूल्यांकन रू. 3,00,000/-से अधिक हो, उनकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार पदाभिहित (Designated) वाणिज्यिक न्यायालय, इन्दौर को होने से, उक्त सभी वाद आर्थिक क्षेत्राधिकारिता वाले सम्बंधित न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे।
- 17- मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा 21 (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए सिविल जिला देवास में कार्यरत सभी व्यवहार न्यायालयों को निर्देशित किया जाता है कि वे ग्रीष्मकालीन या शीतकालीन अवकाश (Vacation) अथवा अन्य 5 दिवस से अधिक के दीर्घकालीन अवकाशों में अत्यावश्यक प्रकृति के व्यवहार प्रकरणों को प्राप्त कर, उनका नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित करें, किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों में अत्यावश्यक कार्य हेतु कमानुसार व्यवस्था अंतर्गत प्राधिकृत जिला न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश या व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड या व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड की अनुपलब्धता की स्थिति में जिला मुख्यालय एवं बाह्यवर्ती न्यायालयों के मुख्यालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा अत्यावश्यक कार्यों (Urgent Work) को संपादित किया जाएगा।


(मधुसूदन मिश्र)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
देवास (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक / 1909 / एस0डब्ल्यू0 / 2024 देवास, दिनांक 02.05.24

प्रतिलिपि-

01. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय म. प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ ।
02. प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, देवास,
03. विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति / जनजाति अत्याचार (निवारण अधिनियम) देवास,
04. समस्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास / सोनकच्छ / बागली / कन्नौद / खातेगांव, जिला-देवास (म.प्र.)
05. समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास / टोंकखुर्द / सोनकच्छ / बागली / कन्नौद / खातेगांव, जिला-देवास (म.प्र.)
06. समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास / टोंकखुर्द / सोनकच्छ / बागली / कन्नौद / खातेगांव, जिला-देवास (म.प्र.)
07. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
08. कलेक्टर, जिला-देवास (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
09. पुलिस अधीक्षक, देवास (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
10. समस्त थाना प्रभारीगण, पुलिस थाना, जिला-देवास (म.प्र.) (सम्पूर्ण) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित ।
11. प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय देवास की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
12. उप प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय देवास की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
13. केंद्रीय पंजीयन अनुभाग, देवास को सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
14. उपसंचालक, अभियोजन, देवास की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
15. जिला अभियोजन अधिकारी, तहसील देवास की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
16. लोक अभियोजक / अतिरिक्त लोक अभियोजक, देवास, टोंकखुर्द, सोनकच्छ, बागली, कन्नौद एवं खातेगांव, जिला-देवास (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
17. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, देवास, टोंकखुर्द, सोनकच्छ, बागली, कन्नौद एवं खातेगांव जिला-देवास (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
18. जुनियर सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, देवास की ओर उक्त आदेश को जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने के निर्देश सहित अग्रेषित ।


(मधुसूदन मिश्र)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
देवास (म.प्र.)

